न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रीति मीणा, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0———504 / 2025

प्रविष्टि दिनांक ———22.08.2025

1. अर्जुन पुत्र बालू जाति मीणा निवासी भडगंपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. कैलाश पुत्र बालू जाति मीणा निवासी भडगंपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. काली पुत्री बालू जाति मीणा निवासी भडगंपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. छोटा पुत्री बालू जाति मीणा निवासी भडगंपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. पंचू पुत्र बालू जाति मीणा निवासी भडगंपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

—वादीगण

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र मंगतीराम जाति मीणा निवासी 369 शिव मन्दिर बाली रोड प्रेम नगर जगतपुरा जयपुर
2. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी पलेई तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3. गिरिराज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी पलेई तहसील निवाई जिला टोंक राज़0
4. धोलूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी पलेई तहसील निवाई जिला टोंक राज0
5. त्हसीलदार साहब निवाई जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री रामकल्याण पूनियां—अभिभाषक, प्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र—अन्तर्गत धारा 251(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
बाबत प्रदान किये जाने रास्ता

निर्णय

दिनांक—16/2/26

प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 357/2 रकबा 2.5293 है0, वाके ग्राम छोरिया पटवार हल्का छोरिया तहसील निवाई मे स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण उक्त कृषि आराजियात पर बहैसियत मालिक काबिज खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। उक्त आराजी के रकबे को पिछले 50—60 वर्षो से लगातार प्रार्थीगण बौते जौते चले आ रहे है और उक्त खसरा नम्बर की आराजी को ग्राम छोरिया से आने वाले रास्ते आम से होकर खसरा नम्बर 357/1 के पूर्वी तरफ से होते हुये दक्षिण से पश्चिम की और खसरा नम्बर 357/1 के दक्षिण व खसरा नम्बर 357/3 के उत्तर में से होते हुये पूर्व से पश्चिम प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 357/2 तक आ रहा है। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण 50 वर्षों से भी अधिक समय से करते चले आ रहे है लेकिन खसरा नम्बर 357/1 के दक्षिण में व 357/3 के उत्तर में पूर्व से पश्चिम से आ रहे 16 फीट रास्ते में तारबन्दी कर गडडू गाढ़ दिये जिससे प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 357/2 पर आने का एकमात्र रास्ता था जो बन्द हो गया है उक्त खेत पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैक्लपिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। इसलिये उक्त स्थान से होकर रास्ता लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ है। उक्त रास्ते से होकर ही प्रार्थीगण अपने हल, कुली, ट्रैक्टर, ट्रॉली,चारा, पूश, कडबी, व धान को लाने ले जाने हेतु उपयोग में लेते चले आ रहे थे। जिससे उक्त रास्ते को बन्द करने से उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण के लिये बन्द हो गया है। जिसे खुलवाया जाकर रास्ते के रूप में तरमीम करवाया जाकर रास्ता कायम किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

प्रार्थनापत्र के साथ अधिवक्ता द्वारा जगावंदी संवत 2070–2073 ग्राम छोरिया, नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट अनुसार ग्राम छोरिया के आराजी खसरा नम्बर 357/2 रकबा 2.5293 है0 खातेदार अर्जुन पुत्र चालू वगैरह जाति मीणा सा0 भड़गपुरा दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा नम्बर 357/1 रकबा 2.5293 है0 किस्म बारानी–3 रमेशचंद पुत्र मंगतीराम हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 369 शिव मंदिर बाली रोड प्रेम नगर जगतपुरा जयपुर दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 357/3 रकबा 2.5293 है0 किस्म बारानी–3 ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण, गिरीराज पुत्र लक्ष्मीनारायण धोलूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना सा0 पलेई खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम छोरिया से ग्राम डांगरथल जाने वाले कच्चे रास्ते से खसरा नम्बर 357/1 की दक्षिणी भुजा एवं खसरा नम्बर 357/3 की उत्तरी भुजा से होकर खसरा नम्बर 357/2 की सीमा तक रास्ता 16 फीट की चौड़ाई में चाहा गया है। जिसे लाल पेन से डॉटेड लाईन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। किन्तु उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालु नहीं है। ग्राम छोरिया से ग्राम डांगरथल जाने वाला कच्चा रास्ता आराजी खसरा 355/3 रकबा 0.2529 है0 किस्म बजंड–2 (सिवायचक) व खसरा नम्बर 247 रकबा 0.6323 किस्म गै0मु0 रास्ता को छोड़कर शेष रास्ता खातेदारी भूमियों में होकर गुजर रहा है। जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में नीली स्याही (डॉटेड रास्ता) से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 357/3 में प्रस्तावित किये गये रास्ते (8 फीट) में मौके पर पक्का पानी का होज व पांच छायादार वृक्ष व दो बिजली के खंभे जिन पर ट्रांसफार्म(डीपी) लगा हुआ है।

अप्रार्थीगण की ओर से यू.टी. अंकितकर्ता अधिवक्ता को आवाज लगाई गई। अप्रार्थीगण वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 357/2 में आने–जाने हेतु तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में से खसरा नम्बर 357/1 के दक्षिणी भुजा में से 16 फीट का रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया है प्रार्थीगण प्रदान किये जाने वाले रास्ते का नियमानुसार भुगतान करने हेतु तत्पर है।

इसके पश्चात प्रकरण मे मनन किया एवं प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 ए के अनुसार यदि कोई खातेदार के पास अपनी भूमि मे जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने पर अन्य खातेदारो की भूमि मे से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना आदि के लिए प्रावधान है। यदि कोई खातेदार अपनी खातेदारी की भूमि मे पहुच हेतु अन्य की खातेदारी भूमि मे से मार्ग लेना चाहता है और यदि अन्य खातेदार इस मांग पर सहमत नही होने पर न्यायालय मे वाद दायर कर राहत प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी रास्ते की मांग को लेकर इस कानून के परिपेक्ष्य मे आये है। उक्त अधिनियम 251 क (2) के अनुसार खातेदार की भूमि मे अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही होने की दशा मे ही इस अधिनियम के तहत राहत प्रदान की जा सकती है। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 357/2 में आने–जाने हेतु निकटतम मार्ग के रूप में खसरा नम्बर 357/1 की दक्षिणी भुजा व खसरा नम्बर 357/3 की उत्तरी भुजा से होकर 16 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। लेकिन तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 357/3 में प्रस्तावित किये गये 8 फीट चौड़ाई का रास्ता में पक्का पानी का हौज व 05 छायादार वृक्ष एव 02 बिजली के खंभे मय ट्रांसफार्मर स्थित है। जिन्हें न्यायालय मौके से खुर्द–बुर्द करना उचित नहीं समझता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 357/1 की दक्षिणी भुजा से 16 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र राजस्थान अन्तर्गत धारा 251(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रावधानो एवं उदेश्य के प्रावधानो की परिधी मे होने एवं न्याय संगत होने से खसरा नम्बर 357/1 की हद तक स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 251(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने रास्ता, मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य दस्तावेजो के आलोक मे खसरा नम्बर 357/1 वाके ग्राम छोरिया की हद तक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 357/2 रकबा 2.5293 है0 वाके ग्राम छोरिया पर आने–जाने हेतु आपकी रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 357/1 वाके ग्राम छोरिया की दक्षिणी भुजा के सहारे–सहारे 16 फीट चौड़ाई की भूमि का वर्तमान डी.एल.सी. दर से नियमानुसार राशि जमा राजकोष करवाकर, गै0मु0 रास्ता अंकन किया जाकर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 16/2/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
निवाई